बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 359852 पटना, दिनांक 14/03/18

ग्रा0वि0-5/प्र0इं0आ0यो0(विशेष अभियान)-102-57/2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए भौतिक लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों को सहायता राशि का हस्तांतरण एवं आवास निर्माण पूर्ण कराने संबंधी कार्य में प्रगति लाने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17 से आरंभ किया गया है और इसका दूसरा वित्तीय वर्ष अर्थात 2017-18 समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष रह गये हैं । वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में आवास की आवश्यकता वाले चिन्हित परिवारों में से पात्र लाभुकों को चिन्हित कर प्राथमिकता निर्धारण की कार्रवाई ग्राम सभा से कराने में विलम्ब के कारण उक्त वित्तीय वर्ष में आंशिक कार्य ही हो पाये थे किन्तु लाभुकों के प्राथमिकता निर्धारण का कार्य हो जाने पर यह आशा की जा रही थी कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में पिछले वित्तीय वर्ष सहित के लिए लक्ष्य को ससमय पूरा कर लिया जायेगा और इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी । विभाग स्तर से जिलों की प्रगति की समीक्षा निरंतर की जाती रही तथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अर्द्ध सरकारी पत्र एवं जिलों में विभागीय पदाधिकारी द्वारा भ्रमण कर योजना की प्रगति की उदासीनता की ओर अवगत कराते हुए बिना विलम्ब के कार्रवाई किये जाने के लिए मार्गदर्शन किया जाता रहा है जिसमें लक्ष्य से कम स्वीकृति, स्वीकृति से कम प्रथम किस्त का भुगतान के साथ ही लाभुकों के निर्माण कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करने के साथ-साथ द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि का भुगतान ससमय करने की ओर अगाह किया जाता रहा । फिर भी राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत संशोधित लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 12.03.18 को आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित प्रगति से स्थिति स्वत: स्पष्ट होती है।

संशोधित लक्ष्य	सत्यापित लेखा के साथ स्वीकृति	प्रथम किस्त का भुगतान	द्वितीय किस्त का भुगतान	तृतीय किस्त का भुगतान	पूर्ण आवास की सं0
745571	565716	462070	109758	13325	8046

आप यह भी अवगत हैं कि यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका अनुश्रवण एवं समीक्षा भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्तर पर भी किया जाता है । समीक्षोपरान्त योजनान्तर्गत 4 (चार) लाख आवासों को 31.03.18 तक पूर्ण करने का लक्ष्य केन्द्र सरकार से प्राप्त हुआ था और इसे ससमय पूर्ण करने के लिए विभाग द्वारा जिलावार लक्ष्य भी संसूचित किये गये थे किन्तु अत्यंत खेद के साथ कहना है कि अबतक पूरे राज्य में मात्र 8046 आवास ही पूर्ण किये जा सके ।

उपर्युक्त परिस्थितियों एवं बेघर परिवारों को आवास की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से अब योजना में अपेक्षित प्रगति लाने के उद्देश्य से निम्न कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है :-

(1) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के संशोधित लक्ष्य के अनुरूप सभी लाभुकों को दिनांक 31.03.18 के पूर्व आवास की स्वीकृति एवं प्रथम किस्त की सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे ।

(2) ग्रामीण आवास सहायक प्रत्येक दिन कम-से-कम 20 लाभुकों का आवास निर्माण कार्य की प्रगति देखेंगे और सभी संबंधित लाभुकों से किये गये संपर्क की सूची लाभुकों के हस्ताक्षर सहित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सौंपेगे ।

(3) ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक प्रत्येक दिन कम-से-कम 2 ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर ग्रामीण आवास सहायक के साथ बैठक कर लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों को आवास की स्वीकृति प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि का भुगतान की स्थिति की समीक्षा करेंगे । साथ ही कम-से-कम 20 लाभुकों को आवास निर्माण कार्य की प्रगति का अनुश्रवण करने के साथ ही लाभुकों को आवास पूर्ण कराने के लिए प्रेरित करेंगे । ग्रामीण आवास सहायक के साथ की गई समीक्षा बैठक का प्रतिवेदन एवं संपर्क किये गये लाभुकों का हस्ताक्षरयुक्त सूची प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को समर्पित करेंगे ।

ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अनुश्रवण कर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा युक्ति-युक्त कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी ।

(4) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से सप्ताह में कम-से-कम दो दिन ग्राम पंचायतों में जाकर 20 लाभुकों द्वारा सहायता राशि प्राप्त कर बनाये जा रहे आवास निर्माण की प्रगति की जाँच करेंगे तथा प्राप्त सहायता राशि के अनुरूप आवास निर्माण कार्य में प्रगति नहीं होने पर दी गयी सहायता राशि की वापसी से लाभुकों को अवगत करायेंगे । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रेषित भ्रमण प्रतिवेदन पर उप विकास आयुक्त द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी ।

(5) उप विकास आयुक्त प्रत्येक सप्ताह कम-से-कम एक प्रखण्ड का भ्रमण कर योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे ।

(6) जिला पदाधिकारी द्वारा जिला स्तर पर इस योजना को प्राथमिकता में रखकर पाक्षिक समीक्षा की जायेगी जिसमें उपर्युक्त बिन्दु-(1), (2), (3), (4) एवं (5) में दिये गये विभागीय निदेश का अनुपालन की भी समीक्षा करेंगे ।

यह भी अवगत कराना है कि विभाग ने इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन की प्रगति को ग्रामीण विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (PAR) की कंडिका-5 में प्रविष्ट किये जाने का निर्णय लिया है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्रवाई का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय और वर्षांत में विफल रहने वाले प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप प्रपत्र-'क' एवं संबंधित कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करते हुए इसकी सूचना विभाग को दी जाय ।

विश्वासभाजन

14/3/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 359852 पटना, दिनांक 14/03/18

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/3/2018

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 359852 पटना, दिनांक 14/03/18

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/3/2018

सरकार के सचिव